

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2011—वैशाख 30, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2011

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच (51).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हेतु, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है:—

सारणी

माल का वर्ग

(1)

निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई हैं

(2)

“प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न
अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल.

जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जो उसकी विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/विविधीकरण करता है और ऐसे विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-25-2010-1-पांच (96) दिनांक 13-12-2010 के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/विविधीकरण उसके वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के पूर्व आनुषांगिक माल के रूप में उपयोग हेतु प्रविष्ट कराया जाए.”.

2. यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 20 मई 2011

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच, (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच, (51), दिनांक 20 मई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th May 2011

No. F-A-3-24-2009-1-V-(51).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Table below, from payment of entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Table:—

TABLE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
“ Goods specified in Schedule II appended to the Entry Tax Act	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer, who is undertaking expansion/modernisation/diversification in his existing industrial unit and is eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax under Commercial Taxes Department, notification No. FA-3-25-2010-1-V (96) dated 13th December, 2010 in respect of such expansion/modernisation/diversification, for use as incidental goods in the expansion/ modernisation/diverisification before the commencement of commercial producation thereof.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st November, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.